(उ०प्र० शासन की पत्र संख्या 7314 /14-3-1980/८२ वन अनुभाग-3, दिनांक-31-12-1984 द्वारा निर्धारित)

मानक शर्ते

- भूमि हस्तांतरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर मैं कोई परिवर्तन नहीं होगा और यह पूर्व की भाति रक्षित /आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
- 2. प्रशनगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
- 3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं करेगा।
- 4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है की मांगी गई भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
- 5. हस्तांतरित विभाग, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार को क्षति नहीं पहुचायेगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
- 6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बंधित वनाधिकारी को देख-रेख में कराये तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि को भी देखभाल करेगा।
- 7. हस्तांतरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एव अधिकारियो को निरिक्षण हेतु जाने पर हस्तांतरित विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एव वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथा संभव प्रस्तावित न किया जाय । केवल अपिरहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परतु प्रतिबन्ध यह होगा को वन सम्पदा को क्षिति को एव अन्य वन जन्तुओं के स्वछंद विचरण को व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तांतरित की जाएगी।
- 9. सिंचाई विभाग/ जल निगम द्वारा वन विभाग को नर्सीरयों /पौधा को एव वन विभाग के कर्मचरियों को निशुल्क जल सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।
- 10. याचक विभाग द्वारा हस्तांतरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन करने पर वन भूमि स्वत: बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जाएगी।
- 11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर "एलाइनमेंट" तय होते समय स्थानीय वन विभाग का परामर्श "भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण" /लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त किया जायेगा, तथा इस संबंध में प्रमुख अभियन्ता, "भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता पर्वतीय क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 /सी दिनांक 10/02/82 में निहित आदेशों का पालन भी "भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण"/लोक निर्माण विभाग द्वारा ही किया जायेगा अस्व मार्ग बनाना वन मार्गो का मामूली फेर बदल कर पक्का करना होगा, बशर्ते ऐसा करना याचक विभाग के खर्चे से पर्याप्त न होगा और नयी सडक का निर्माण ही आवश्यक है।

(प्रभाषकुमार) प्रबंधक टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड

- 12. वन भूमि का मूल्य संबंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रदक्त मूल्य संबंधी प्रमाणपत्र के आधार पर आंकलित होगा जो याचक विभाग को मान्य होगा।
- 13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन विभाग अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उनका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों को बाजार भाव मृल्य देय होगा।
- 14. हस्तांतिरत भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तांतिरत भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ो का रोपण तथा तीन वर्ष तक पिरपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाये,का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एव 30 से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पालन कार्य निषिद्ध है। इसी प्रकार बीच के पेड़ो का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षक वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।
- 15. वन भूमि के ऊपर से विधुत लाइन ले जाने में यथा सम्भव पेड़ो का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को ऊँचा कर उसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ो का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है, तो न्यूनतम पेड़ो को संख्या स्थल निरीक्षण करके संबधित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित को जाएगी। जिस पर संबधित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।
- 16. यदि नहर आदि निर्माण में भू -क्षरण को संभावना होती है और नहर को दोनों पटरियों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक अपने व्यय से करेगा ।
- 17. उक्त लिखित मानक शर्तो के अतिरिक्त यदि भारत सरकार द्वारा अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त दर्शायी जाती है तो ये याचक विभाग को मान्य होगी।
- 18. वन भूमि का वास्तविक स्थानांतरण तभी किया जायेगा। जब उक्त शर्तो का पालन कर दिया जाये अथवा उसका उचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो।

मैं, (प्रभाषकुमार) प्रबंधक, प्रमाणित करता हु की टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त उल्लिखित सभी शर्ते मान्य है तथा उनका अनुपालन किया जाएगा।

> (प्रभाषकुमार) प्रबंधक टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड